न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः– जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः– 48 / 2012 / अपील

1 साधुराम } पुत्रगण रामू सामोता जाति जाट निवासी खाचरियावास
2 भगवानाराम } तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

1 तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर
2 अर्जुन दत्तक पुत्र छीगना जाति जाट निवासी रामजीपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 06.12.2010 मु.न. 18 / 2010 अनुवानी सरकार बनाम साधुराम वगै0 द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार दांतारामगढ़

वकील अपीलांट श्री सागरमल धायल

निर्णय **दिनांकः–08.01.2020**

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ने रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि भूमि खसरा नम्बर 986 तन ग्राम बनाथला गै0मु0 रास्ते की भूमि है, जिस पर गैरसायलान / अपीलांटान ने अतिक्रमण कर रास्ता बंद किया है। उक्त रिपोर्ट नायब तहसीलदार के यहां प्रस्तुत होने पर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया। गैर सायलान उपस्थित आये व जवाब इस आशय का प्रस्तुत किया कि पटवारी हल्का द्वारा बताये रास्ते पर कोई अतिक्रमण नही किया है, बल्कि गैरसायलान के भूमि खसरा नम्बर 986 में पुख्ता आवासीय मकान 35–40 वर्ष से बने होना व मौके पर रास्ता अपीलांटान के खातेदारी की भूमि की दक्षिणी सीमा पर ग्राम खाचरियावास से पचार जाने वाला आम रास्ता है, जिसमें सन 2003 में ही ग्रवेल सडक बन चुकी है व रास्ते में किसी प्रकार की बाधा नही है। खसरा नम्बर 986 रास्ता मौके पर करीब 35–40 साल से कभी नही रहा। उक्त तथ्य की ताईद अपीलांटान की आवासीय पुख्ता गुवाडियों से होती है। उक्त तथ्य पर योग्य नायब तहसीलदार ने न तो पटवारी हल्का के बयान लिए न किसी अन्य स्वतंत्र व्यक्ति की साक्ष्य ली व बिना मौका देखे ही योग्य नायब तहसीलदार ने विरूद्ध कानूनन अपना निर्णय दिनांक 06.12.2010 पारित कर दिया। अपीलांटान की काश्त की भूमियां खसरा नम्बर 988, 979 तन ग्राम बनाथला तहसील दांतारामगढ स्थित है। उक्त भूमियों मे से एक कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 986 दर्शित किया हुआ है जो मौके पर कभी चालू नही रहा। अपीलांटान के खातेदारी की उपरोक्त भूमि के दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे होकर खसरा नम्बर 984 की पूर्वी सीमा के सहारे से होकर रास्ता ग्राम खाचरियावास से पचार जाने वाला मौके पर स्थित है व सन् 2003 में उक्त रास्ते में ग्राम पंचायत द्वारा ग्रेवल सड़क का निर्माण भी किया है। उक्त रास्ता हर मौसम में निर्बाध रूप से चालू है व किसी प्रकार की कोई रूकावट व बाधा नही है। खसरा नम्बर 980 ग्राम बनाथला के खातेदार अर्जून रेस्पोडेंट संख्या 2 ने उसके खेत में से गुजरने वाले ग्राम पचार से खाचरियावास

जाने वाले रास्ते मे अवरूद्ध पैदा कर दिया था जिसे तहसीलदार ने उक्त अवरूद्ध को हटवा दिया, जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपीलांटान से अदावट रखना शुरू कर दिया। वविवादित रास्ता खसरा नम्बर 986 मौके पर न तो रहा न ही है, बल्कि अपीलांटान की गुवाडिया 35–40 वर्ष से बनी हुई है। अपीलांटान की भूमि खसरा नम्बर 986 ग्राम बनाथला के दक्षिणी सीमा पर चालू आम रास्ता ग्राम पचार से खाचरियावास जाने वाले रास्ते के सम्बन्ध में सिविल न्यायाधीश (व.ख.) दांतारामगढ में प्रतिनिधि वाद विचाराधीन है व सिविल न्यायालय द्वारा विवादित रास्ते के सम्बन्ध में मौका कमिश्नर नियुक्त किया है जिन्होने अपनी रिपोर्ट दिनांक 22.05.2012 को दी है। मौके पर अपीलांटान की खातेदारी की भूमियो के दक्षिणी सीमा पर रास्ता चालू पाया है व ग्रेवल रोड बनी हूई होना अपीलांटान व स्व0 लूणा की आवासीय ढाणिया बनी दर्शित किया है व उक्त मौका रिपोर्ट के अनुसार मौके की यथा स्थिति बनाये रखे जाने की आज्ञा पारित की हुई है। इससे भी भली भांती साबित है कि विवादित रास्ता खसरा नम्बर 986 कभी मौके पर नही रहा। अपीलांटान में अपने खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 984 ग्राम बनाथला जो विवादित रास्ते के पश्चिमी साईड में स्थित अपना सम्पूर्ण हिस्सा राज्य सरकार के पक्ष में सरेन्डर किया है व उप स्वास्थ्य केन्द्र, राज्य सरकार द्वारा बनाया जा चुका है। जब अपीलांटान एक तरफ अपनी किमती भूमि राज्य सरकार को सरेण्डर करते है व उन द्वारा रास्ते पर अतिक्रमण करने का प्रश्न ही पैदा नही होता। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने आज्ञा जैर अपील बिना मौका देखे पारित की है। अतः अपील अपीलांटान स्वीकार की जाकर योग्य अधीनस्थ नायब तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा पारित जैर अपील निर्णय दिनांक 06.12.2010 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांटान को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। अपीलांटान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए एवं जवाब नोटिस पेश किया। अपीलांटान द्वारा प्रस्तुत जवाब को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड पर लिया गया। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपना निर्णय पारित किया है। मुताबिक रिकॉर्ड के अपीलांटान द्वारा ग्राम बनाथला के खसरा नम्बर 986 रकबा 0.04 है0 किस्म गै.मु.रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण कर उक्त रास्ते को बन्द कर रखा है। उपरोक्त आराजियात पर अतिक्रमण नहीं होने के सम्बंध में अपीलांटान द्वारा कोई ठोस दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है एवं ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है, जिससे यह साबित किया जा सके कि विवादित स्थल पर अपीलांटान का कोई अतिक्रमण नहीं है। अतिक्रमित भूमि की किस्म गै.मु.रास्ता है। गै.मु. रास्ते की भूमि पर अपीलांटान को अतिक्रमण करने का कोई हक अधिकार नहीं है। अतः गै.मु.रास्ते की भूमि पर अपीलांटान द्वारा अतिक्रमण कर रास्ते को बन्द किये जाने के सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार दांतारामगढ़ के द्वारा पारित बेदखली आदेश दिनांक 06.12.2010 अतिविशिष्ट कानूनी प्रावधान की पूर्ति के लिए यथेष्ट एवं पर्याप्त है, जिसमें दखलंदाजी की आवश्यकता न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलांटान खारिज की जाती है। तहसीलदार दांतारामगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण के सम्बंध में विवादग्रस्त आराजियात का सीमाज्ञान/नाप किया जाकर ही नियमानुसार बेदखली करें।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/1/20

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

अति. जिला कलक्टर, सीकर

अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट
सीकर